प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. **जिला–** जयपुर, **थाना–**प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यूरो जयपुर, वर्ष–2023
प्र0इ0रि0 सं. ....304/2023........**दिनांक**.......7/12/2023

2. (I) **अधिनियम...** धारा 7 पी0सी0 एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी भा.दं.सं.
(II) ***अधिनियम** .... **धारायें**......................
(III) * **अधिनियम** .... **धारायें** ....
(IV) * **अन्य अधिनियम एवं धारायें**..
(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....121....................... **समय** 5:05 PM.
(ब) अपराध घटने का दिन बुधवार **दिनांक 06.12.2023 समय** 12.18 पी.एम
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ....

4. **सूचना की किस्म :– लिखित /मौखिक– लिखित**

5. **घटनास्थल :–** प्लाट नम्बर सी–5, पार्थ सिटी, कालवाड रोड, जयपुर।
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:– बजानिब पश्चिम करीब 35 किमी
(ब) बीट संख्या..........................**जयरामदेही सं**................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....**जिला** ....

6. **(1)परिवादी /सूचनाकर्ता :–**
(अ) नाम– भवानी सिंह यादव
(ब) पिता/पति का नाम– श्री श्रीचन्द यादव
(स) जन्म तिथी– उम्र– 43 साल
(द) राष्ट्रीयता – भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या ....**जारी होने की तिथि**
जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय –निजी व्यवसाय
(ल) पता– निवासी ग्राम शेरपुर पुलिस थाना बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड

7. **ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –**

1. श्री अनिल कुमावत पुत्र श्री भैरूलाल कुमावत, उम्र 26 साल, निवासी उंचा मंगरा की ढ़ाणी, वार्ड नं. 2, बगरू, पुलिस थाना बगरू जिला जयपुर ग्रामीण हाल कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय सहायक अभियंता, परिवहन व संचालन (प.व.स.), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., कालवाड़ जयपुर।
2. श्री बनवारीलाल पूनिया पुत्र श्री कजोडमल पूंनिया, उम्र 29 साल, निवासी पूनियों की ढाणी, सांरग का बास, पुलिस थाना कालवाड जयपुर हाल हैल्पर फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम, कंपनी वीजन प्लस, कार्यक्षैत्र कार्यालय सहायक अभियन्ता, कालवाड के अन्तर्गत कालवाड से माचवा तक।

8. **परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–**..........
9. **चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)**..
10. **चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य–** 17,000/– रूपये
11. **पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)** ....
12. **विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):–**

दिनांक 28.10.2023 को समय 1:30 पी.एम0 पर श्री सुरेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर द्वितीय जयपुर ने मन पुलिस निरीक्षक को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उनके सम्मुख बैठे व्यक्ति श्री भवानी सिंह यादव परिवादी व उनके

साथ बैठे व्यक्ति का अंकित यादव से परिचय करवाकर श्री भवानी सिंह यादव द्वारा सहायक अभियन्ता कार्यालय, जयपुर विधुत वितरण निगम लिमी0, कालवाड जयपुर के जेईएन कुमावत द्वारा रिश्वत मांगे जाने के संबंध में एक लिखित प्रार्थना पर आवश्यक कार्यवाही हेतु पृष्ठांकित कर मुझे सुपुर्द किया। इस पर मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री भवानी सिंह यादव व श्री अंकित यादव मय प्रार्थना पत्र अपने कार्यालय कक्ष में आकर परिवादी का नाम पता पूछा तो परिवादी ने अपना नाम भवानी सिंह यादव पुत्र श्री श्रीचन्द यादव, उम्र 43 साल, निवासी ग्राम शेरपुर पुलिस थाना बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड व उनके साथ आये व्यक्ति ने अपना नाम अंकित यादव पुत्र श्री घनश्याम यादव, उम्र 30 साल, निवासी मकान नम्बर 48, रूपविहार कॉलोनी, किशोरपुरा रोड, हाथोज थाना कालवाड जयपुर होना बताया। श्री भवानी सिंह यादव से प्रार्थना पत्र के संबंध में पूछा तो बताया कि यह प्रार्थना पत्र मेरे स्वयं द्वारा लिखा जाकर मैने मेरे हस्ताक्षर किये है। प्रार्थना पत्र का मजमून इस प्रकार है "सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलीस अधीक्षक, A.C.B. जयपुर द्वीदीय, विषय– रिसवत लेते हुए पकड़वाने बाबत, महोदय निवेदन है कि मेरा प्लाट C 5 पार्थ सिटी कालवाड़ रोड़ जयपुर है जिसमें मैंने बिजली कनेक्शन करवाने के लिए सहायक अभीयन्ता जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 कालवाड़ जयपुर में दि0 23.8.2023 को आवेदन किया था मैने मेरे 400 गज के प्लाट में कैन्कसन करवाने हेतु आवेदन किया था परन्तु उनोहने 800 गज के हिसाब से दि0 17.10.2023 को डिमाड नोटीस भेज दिया इस पर मै J.E.N कुमावत जी से मीला और उनको कहा की मेरे पास 400 गज का प्लाट है। उसी के कागज है। तो J.E.N कुमावत जी ने कहा की मुझे 30,000/– रू. तीस हजार रूपये देने पडेगे नहीं तो 800 गज का ही डीमान्ड भरना पडेगा तभी आपका कनेक्सन करूगा मैं कुमावत J.E.N .को रिस्वत के 30,000/ रू नहीं देना चहाता उसे रिस्वत लेते हुए पकडवाना चहाता हू रिपोर्ट करता हूं कर्यवाइ की जाए संलग्न डिमान्ड नोटीस दिनाक 28.10.2023 हस्ता. भवानी सिंह यादव पुत्र श्री चन्द यादव V.P.O–शेरपु थाना बहरोड़ जिला–कोटपुतली बहरोड़ 9414014777". मजीद दरियाफ्त पर परिवादी श्री भवानी सिंह यादव ने बताया कि सी–5, पार्थ सीटी, कालवाड रोड, जयपुर मे एक 400 वर्गगज का प्लाट मेरे नाम है जिसमे निर्माण करवाया हुआ है, मैने उक्त प्लाट पर विधुत कनेक्शन लेने के लिए दिनांक 23.08.2023 को कार्यालय, सहायक अभियन्ता जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड, कालवाड जयपुर मे आवेदन किया था लेकिन बहुत समय बाद मुझे 800 वर्गगज के हिसाब से डिमाण्ड नोटिस 54150 रूपये का प्राप्त हुआ। इस पर मैं बिजली विभाग के कार्यालय में जाकर जेईएन कुमावत जी से मिला तो उन्होने कहा कि आपको विधुत कनेक्शन कराना है तो 30000 रूपये मुझे देने पडेगें अन्यथा आपको हमारे द्वारा जारी 800 वर्गगज के डिमाण्ड की राशि जमा करानी पडेगी। इस पर मैने बताया कि मेरे नाम तो केवल 400 वर्गगज जमीन है, शेष जमीन अन्य किसी व्यक्ति की है जिसको मैं नही जानता हूं। इस पर जेईएन कुमावत जी ने कहा कि आपको विधुत कनेक्शन लेना है तो 30000 रूपये मुझे देने पडेगे। इसके बाद मैं 400 गज के हिसाब से डिमाण्ड नोटिस निकलवाकर आपका विधुत कनेक्शन कर दुंगा। मैं जेईएन कुमावतजी को रिश्वत के 30000 रूपये नही देना चाहता हूं, मैं उसको रिश्वत लेते हुये पकडवाना चाहता हूं। मजीद दरियाफ्त एवं प्रार्थना पत्र से मामला प्रथम दृष्टया लोकसेवक द्वारा रिश्वत की मांग का पाया जाता है। जिसके लिए परिवादी से संदिग्ध कर्मचारी से रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। जिस पर परिवादी श्री भवानी सिंह यादव ने बताया कि दिनांक 28 व 29.10.2023 का अवकाश होने के कारण जेईएन साहब ऑफिस मे नही मिलेगे व दिनांक 30.10.2023 व 31.10.2023 का मुझे गांव में जरूरी काम होने के कारण मैं नही आ सकता। इसलिए मैं अग्रीम कार्यवाही हेतु आने के संबंध में आपको सूचित कर दूंगा। इस पर कार्यालय आलमारी से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर निकालकर परिवादी श्री भवानी सिंह को चालू व बंद करने की प्रक्रिया समझाई गई। इसके पश्चात् परिवादी श्री भवानी सिंह यादव व श्री अंकित यादव को गोपनीयता रखने की आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। तत्पश्चात दिनांक 1.11.2023 को समय 10.12 ए.एम. पर परिवादी श्री भवानी सिंह यादव ने अपने मो.न. 9414014777 से मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर फोन कर बताया कि मैं अभी कालवाड रोड मकान पर हूं। जेईएन कुमावत जी से मेरी बात हुई है उन्होने आज मुझे अपने कार्यालय में 11.30–12.00 बजे बुलाया है इसलिए मैं आपके कार्यालय में उपस्थित नही हो सकता हूं। मैं आपको कार्यवाही हेतु हाथोज स्टेण्ड कालवाड रोड पर मिल जाउंगा। इस पर श्री सफी मोहम्मद कानि. 173 को मन पुलिस निरीक्षक ने अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर कार्यालय की अलमारी से विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर

निकालकर उसमें नया मेमोरी कार्ड डालकर दोनों का खाली होना सुनिश्चित कर सुपुर्द कर हिदायत की कि आप संदिग्ध आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु परिवादी श्री भवानी सिंह यादव से हाथोज बस स्टेण्ड पर जाकर उनके मो.न. 9414014777 पर सम्पर्क करे एवं मांग सत्यापन की कार्यवाही करावे। समय 2.05 पी.एम. पर परिवादी श्री भवानी सिंह यादव मय सफी मोहम्मद कानि. के कार्यालय में उपस्थित आये एवं श्री सफी मोहम्मद कानि. ने बंद डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मन पुलिस निरीक्षक को पेश कर बताया कि मैं कार्यालय से रवाना होकर कालवाड रोड से परिवादी श्री भवानी सिंह यादव के मोबाइल नम्बर 9414014777 पर फोन कर बताया कि मैं हाथोज बस स्टेण्ड पर पहुचने वाला हूं इस पर परिवादी श्री भवानी सिंह यादव ने मुझे बताया कि आप हाथोज बस स्टेण्ड पर आ जाओ। हाथोज बस स्टेण्ड पर पहुंच कर पुनः फोन किया तो परिवादी श्री भवानी सिंह यादव ने बताया कि आप थोडा आगे आ जाओ मैं रोड पर खड़ा हूं इस पर मैं जाकर परिवादी श्री भवानी सिंह यादव से मिला। इसके पश्चात् परिवादी श्री भवानी सिंह यादव की प्राईवेट गाडी में बैठकर कालवाड जयपुर विद्युत वितरण निगम के ऑफिस से कुछ दूरी पहले रूके, जहां मैने विभागीय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू कर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर परिवादी को सुपुर्द कर मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु जयपुर विद्युत वितरण निगम कालवाड जयपुर के कार्यालय में रवाना किया तथा मैं अपनी उपस्थिति छुपाते हुये वहीं रूक गया। कुछ समय पश्चात् परिवादी भवानी सिंह यादव जयपुर विद्युत वितरण निगम कालवाड के कार्यालय से वापस बाहर आकर मुझे वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द किया जिसको मैने बंद कर सुरक्षित अपने पास रख लिया। परिवादी ने मुझे बताया कि मेरी संदिग्ध आरोपी से मेरे कार्य एवं रिश्वत के संबंध में वार्ता हो गई है जिसको मैने रिकॉर्ड कर लिया। इसके पश्चात् मैं परिवादी को साथ लेकर कार्यालय के लिए रवाना हुआ तो कुछ दूरी पर चलने के पश्चात् परिवादी ने जेईएन कुमावत से वॉट्सअप कॉल पर बात की जिसको विभागीय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया, इसके बाद रवाना होकर कार्यालय आ गये। परिवादी श्री भवानी सिंह यादव ने सफी मोहम्मद कानि. के उक्त कथनों की ताईद करते हुये बताया कि सफी मोहम्मद कानि. के मेरे पास पहुंचने के पश्चात् मैं व सफी मोहम्मद कानि. मेरे निजी वाहन से रवाना होकर जयपुर विद्युत वितरण निगम कालवाड जयपुर से कुछ पहले पहुंचने जहां सफी मोहम्मद कानि. ने वॉयस रिकॉर्डर चालू कर मुझे रिश्वत मांग सत्यापन हेतु जयपुर विद्युत वितरण निगम कालवाड जयपुर के कार्यालय में रवाना किया तथा श्री सफी मोहम्मद कानि. वही रूक गये। इसके पश्चात् मैं रवाना होकर जयपुर विद्युत वितरण निगम कालवाड जयपुर के कार्यालय में पहुंचा एवं वहां जाकर मैं जेईएन कुमावत जी से मिला जिनसे मैने मेरे कार्य के संबंध में वार्ता की तो उन्होने मेरा विद्युत कनेक्शन संबंधी कार्य किये जाने हेतु पूर्व में मांगे गये बीस हजार रूपये मे से हजार दौ हजार रूपये कम करने के लिए कहा और एक हजार रूपये बनवारी को देने के लिए कहा। इसके पश्चात् जेईएन कुमावत जी ने उनके पास में खडे एक व्यक्ति बनवारी की तरफ ईशारा किया। इसके पश्चात् बनवारी मुझे साथ लेकर जेईएन के कार्यालय कक्ष से बाहर आया और मेरे से बात की तो बनवारी ने बताया कि आपका काम हो जायेगा। जेईएन साहब को रूपये उपर तक देने पडते है। तथा बनवारी ने मुझसे 16000/– रूपये मांगे। बातचीत के दौरान बनवारी ने मेरे मोबाईल नम्बर लिये थे। वार्ता होने के पश्चात् में रवाना होकर सफी मोहम्मद कानि. के पास पहुंचकर वॉयस रिकॉर्डर उन्हें सुपुर्द कर दिया। इसके पश्चात् मैं व सफी कानि. मेरे निजी वाहन से रवाना होकर कुछ दूर आकर मैने जेईएन कुमावत जी से बनवारी द्वारा बताये गये 16000 रूपये की रिश्वत राशि की पुष्टि हेतु मेरे मोबाईल से उनके मोबाइल नम्बर 9413390345 पर वाट्सअप कॉल किया तो उन्होने मेरे कनेक्शन के कार्य करने के लिए बताया कि आप 17000 रूपये बनवारी को देने की कहते हुये बनवारी से बात करने की कहा। जिसको वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्डर कर लिया है। इसके पश्चात् मैं व सफी मोहम्मद कानि. रवाना होकर एसीबी कार्यालय में आपके पास आ गये। परिवादी ने बताया कि बनवारी ने रिश्वत के पैसे लेकर आज ही बुलाया है। इसके पश्चात् मन पुलिस निरीक्षक ने विभागीय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को चालू कर सुना तो परिवादी श्री भवानी सिंह यादव की बातों की ताईद हुई। मन पुलिस निरीक्षक ने विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को बंद कर सुरक्षित रखा। समय 2.30 पी.एम. पर पूर्व में पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाह श्री मनीष चौधरी हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति(अनाज) सूरजपोल, जयपुर तथा श्री प्रदीप कुमार शर्मा हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति(अनाज) सूरजपोल, जयपुर, उपस्थित कार्यालय आये, जिनसे गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही तो उन्होने अपनी–अपनी मौखिक सहमति प्रदान की। इसके पश्चात् स्वतंत्र गवाहान श्री मनीष चौधरी एवं श्री प्रदीप

कुमार शर्मा का कार्यालय उपस्थित परिवादी श्री भवानी सिंह यादव से परिचय कराकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन करवाया जाकर स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 3.00 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा उपस्थित गवाहान के समक्ष परिवादी भवानी सिंह यादव को संदिग्ध आरोपी बनवारी को रिश्वत मे दी जाने वाली राशि पेश करने के लिए कहा तो परिवादी ने अपने पास से 500–500 रूपये के 34 नोट कुल 17000/–रूपये निकाल कर पेश किये। उक्त नोटों के नम्बरों को फर्द में अंकित करवाकर श्री आशिष कुमार कानि0 208 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर प्रथम से कार्यालय की अलमारी में से फिनोफ्थलीन पॉउडर की शीशी निकलवाकर, कार्यालय की एक टेबल पर एक अखबार बिछवाकर उस अखबार पर उक्त पांच–पांच सौ रूपये के 34 नोटों कुल 17000/–रूपये को रखकर उक्त नोटो पर श्री आशिष कुमार कानि0 208 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पॉउडर लगवाया गया। परिवादी श्री भवानी सिंह की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री मनीष चौधरी से लिवायी गयी तो परिवादी के पास उसके मोबाईल फोन के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। तत्पश्चात परिवादी श्री भवानी सिंह की पहनी हुई पेन्ट की सामने दाहिनी साईड वाली जेब में उक्त फिनोफ्थलीन पॉउडर युक्त नम्बरी नोटों को श्री आशिष कुमार कानि0 से रखवाया गया व परिवादी को हिदायत की गई कि आरोपी से हाथ नही मिलावे व हाथ जोडकर अभिवादन करे तथा आरोपी रिश्वती राशि को कहां रखता है, इसका भी ध्यान रखा जावे। श्री आशिष कुमार कानि0 से फिनोफ्थलीन पॉउडर की शीशी कार्यालय की अलमारी में वापस रखवायी गयी। उसके पश्चात एक साफ पारदर्शी डिस्पोजल गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके पश्चात उक्त सोडियम कार्बोनेट के घोल में श्री आशिष कुमार कानि0 के फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त दाहिने हाथ की अगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। जिस पर परिवादी श्री भवानी सिंह एवं स्वतंत्र गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पॉउडर लगे नोटों को छुयेगा तो उसके हाथों में फिनोफ्थलीन पॉउडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये सोडियम कार्बोनेट के घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वती राशि को प्राप्त किया है। तत्पश्चात परिवादी श्री भवानी सिंह को हिदायत दी गयी कि वह रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेर कर या मन् पुलिस निरीक्षक के मो0 नं0 9772201651 पर मिस कॉल कर ट्रेप पार्टी को गोपनीय ईशारा करें, इसके पश्चात गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के साथ या आस–पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन–देन को देखने का यथा–सम्भव प्रयास करें। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाकर अखबार व डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया। श्री आशिष कुमार कानि0 के दोनों हाथों साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। परिवादी श्री भवानी सिंह को छोड़कर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। परिवादी श्री भवानी सिंह को रिश्वती राशि लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु पूर्व मे रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में उपयोग मे लिये गये डिजीटल वाईस रिकॉर्डर जिसमे पूर्व में मांग सत्यापन के दौरान उपयोग में लिया गया एसडी कार्ड लगा हुआ है को चलाने व बन्द करने की विधि समझा कर सुपुर्द किया गया तथा श्री आशिष कुमार कानि0 को आवश्यक हिदायत देकर कार्यालय मे ही छोडा गया। इसके बाद समय 3.40 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक श्री भंवर सिंह मय सर्वश्री मूलचन्द पुलिस निरीक्षक, राजकुमार है0कानि0 35, अशोक कुमार है0कानि0 137, अशोक कुमार है0कानि0 149, अशोक कुमार है0कानि0 54, राजेन्द्र सिंह कानि 55, पूरण सिंह कानि 243, ओमप्रकाश कानि0 438, वीरेन्द्र सिंह वरिष्ठ सहायक मय स्वतंत्र गवाह श्री मनीष चौधरी मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर व आवश्यक सामान के सरकारी वाहनों मय चालक के वास्ते गोपनीय कार्यवाही हेतु रवाना हुआ एवं परिवादी श्री भवानी सिंह यादव व श्री सफी मोहम्मद कानि. 173 व स्वतंत्र गवाह श्री प्रदीप कुमार शर्मा को परिवादी ने निजी चौपहिया वाहन से रवाना किया गया। समय 4.30 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के कालवाड रोड पार्थ सिटी से आगे पहुंचकर रूके तथा वाहनों को साईड में खडा करवाया गया। परिवादी श्री भवानी सिंह यादव के मोबाईल नम्बर 9414014777 से संदिग्ध आरोपी बनवारी के मोबाईल नम्बर 8104901669 पर वार्ता करवायी तो संदिग्ध आरोपी बनवारी ने कहा कि मैं आधा घंटे में आकर आपको फोन करता हूं। संदिग्ध आरोपी का बनवारी का फोन नही आने पर परिवादी

की संदिग्ध आरोपी बनवारी से पुनः बात करवायी गई तो उसने कहा कि मैं अभी आकर आपको फोन करता हूं। कुछ समय इंतजार करने के पश्चात् फोन नही आने पर पुनः संदिग्ध आरोपी के मोबाईल पर परिवादी से फोन करवाया गया लेकिन संदिग्ध आरोपी द्वारा फोन नही उठाया गया। इसके पश्चात् संदिग्ध आरोपी फोन का इंतजार किया गया काफी समय तक फोन नही आने पर संदिग्ध आरोपी के आने की संभावना नही होने व जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कार्यालय का समय समाप्त होने पर समय 6.05 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री भवानी सिंह यादव को संदिग्ध आरोपी को दी जाने के लिए पूर्व में सुपुर्द की गई फिनोफ्थलिन पाउडरयुक्त रिश्वति राशि को श्री राजकुमार है0कानि0 35 से निकलवाया जाकर एक लिफाफे में डालकर सरकारी वाहन के डेस्कबोर्ड में रखवायी गई। इसके पश्चात् मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री भवानी सिंह यादव से पूर्व में सुपुर्द विभागीय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर सुरक्षित अपने पास रख लिया तथा परिवादी को संदिग्ध आरोपीगण द्वारा उससे सम्पर्क करने पर तुरन्त अवगत कराने एवं गोपनीयता बनाये रखने की मुनासिब हिदायत देकर वहीं छोडकर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान मय साजो सामान के ब्यूरो कार्यालय के लिए रवाना होकर समय 7.20 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान मय साजो सामान के ब्यूरो कार्यालय पहुंचा तथा राजकीय वाहन के डेस्कबोर्ड से रिश्वति राशि मय लिफाफे के श्री राजकुमार है0कानि0 35 से निकलवायी जाकर सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखवायी गई तथा विभागीय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रख गया। स्वतंत्र गवाहान को मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया।

दिनांक 5.12.2023 को समय 1.00 पी.एम. पर परिवादी श्री भवानी सिंह यादव उपस्थित कार्यालय आया एवं अवगत कराया कि मेरा परिचित विधानसभा चुनाव मे खडा हुआ था जिसके चुनाव प्रचार में व्यस्त था, इसलिए मैं नही आ सका था। आज मेरी जेईएन कुमावत से वाटसअप पर बात हुई है तो मै आज जेईएन से मिलने जाउंगा तो वो मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त कर सकते है। जिस पर पूर्व से पाबन्दशुदा गवाह श्री मनीष चौधरी व श्री प्रदीप कुमार शर्मा कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) सूरजपोल, जयपुर को कार्यालय में तलब किया गया। इसके बाद उपस्थित परिवादी श्री भवानी सिंह यादव ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैने जेईएन कुमावत को कॉल किया तो उन्होने फोन रिसिव नही किया पर पूर्व मैं जब जेईएन कुमावत के पास मेरे कनेक्शन के काम के लिए गया था तो जेईएन कुमावत ने मेरे प्लाट के कनेक्शन के लिए 20000 रूपये की रिश्वत मांगी थी और उसके बाद 17000 रूपये रिश्वत की मांग की थी तथा यह रिश्वत राशि जेईएन कुमावत ने बनवारी को देने के लिए कहा था इसलिए मैने मेरे मोबाईल नम्बर 9414014777 से बनवारी के मोबाईल नम्बर 8104901669 पर वाटसअप कॉल किया तो बनवारी को मैने मेरे पार्थ सिटी वाले प्लाट पर मौजुद होने तथा मेरे प्लाट के विधुत कनेक्शन के बारे मे बात की तो बनवारी ने मेरे प्लाट पर आने के लिए कहा है, बनवारी जो जेईएन कुमावत के पास काम करता है, मेरे प्लाट पर आकर मेरे से मेरे विधुत कनेक्शन के कार्य के लिए जेईएन कुमावत के लिए रिश्वत राशि प्राप्त करेगा। इसके बाद समय 2.50 पी.एम. पर श्री राजकुमार कानि0 364 जयपुर नगर प्रथम से कार्यालय अलमारी में पूर्व से रखा गया रिश्वती राशि का लिफाफा निकलवाया जाकर गवाहान व परिवादी की उपस्थिति में खुलवाया जाकर लिफाफे मे रखी राशि को राजकुमार कानि0 गिनवाया गया तो 500-500 रूपये 34 नोट कुल 17000 रूपये का मिलान पूर्व मे तैयारशुदा फर्द पेशकशी से करने के उपरान्त रिश्वती राशि 17000 रूपये को राजकुमार कानि0 364 से परिवादी भवानी सिंह यादव की दाहीनी जेब में रखवाये गये तथा मन पुलिस निरीक्षक ने पूर्व में काम मे लिये गये एसडी कार्ड लगे वायस रिकार्डर को परिवादी भवानी सिंह यादव को सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत की गई। समय 3.00 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक श्री भंवर सिंह मय सर्वश्री अभिषेक पारीक उप अधीक्षक पुलिस, राजेन्द्र सिंह कानि 55, पूरण सिंह कानि 243, विरेन्द्र कुमार कानि0 66, ममता मकानि मय स्वतंत्र गवाह श्री मनीष चौधरी मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर व आवश्यक सामान के सरकारी व प्राईवेट वाहनों के मय चालक के वास्ते गोपनीय कार्यवाही हेतु रवाना हुआ एवं परिवादी श्री भवानी सिंह यादव व श्री सफी मोहम्मद कानि. 173 व स्वतंत्र गवाह श्री प्रदीप कुमार शर्मा को परिवादी ने निजी चौपहिया वाहन से रवाना किया गया। समय 4.00 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के परिवादी भवानी सिंह यादव के पार्थ सिटी स्थित प्लाट संख्या सी-5, कालवाड रोड पर पहुंचा जहां पर पृथक से रवानाशुदा परिवादी भवानी सिंह यादव, सफी मोहम्मद कानि0 गवाह प्रदीप मौजुद मिले। परिवादी भवानी सिंह यादव ने स्वंय के

मोबाईल से जेईएन कुमावत के मोबाईल नम्बर 9414090345 पर कॉल किया व परिवादी ने जेईएन कुमावत को कहा कि मेरा कनेक्शन कर दो, मेरा मकान तैयार हो गया है, मेरा काम कर दो मैं यहां ऑफिस मे ही हूं पार्थ सिटी, बनवारी को भेज दो यहां पार्थ सिटी या मैं उससे मिलु आप बताओ इसके बाद जेईएन कुमावत ने मोबाईल काट दिया, इसके पश्चात परिवादी भवानी सिंह यादव द्वारा कुछ समय इन्तजार करने के बाद जेईएन कुमावत के दलाल बनवारी को मोबाईल कॉल किया जिसके द्वारा कॉल नही उठाने पर 04.19 पीएम पर परिवादी भवानी सिंह यादव का मोबाईल कॉल बनवारी के मोबाईल नम्बर 8104901669 पर उठाया तो परिवादी भवानी सिंह यादव द्वारा बनवारी को कहा गया कि अरे भाई मैं आया हुआ हूं, आप एक बार साहब से बात करके मुझे बताओ, मेरे को 150 किलोमीटर दुर जाना है, आपका व मेरा पांच मिनट का ही तो काम है , बनवारी द्वारा कहा गया कि मैं पांच मिनट मे आपको कॉल करता हूं। इसके पश्चात 04.43 पीएम पर परिवादी भवानी सिंह यादव के मोबाईल पर जेईएन कुमावत के दलाल बनवारी की वार्ता हुई जिसमें बनवारी ने परिवादी से वार्ता की जिसमे परिवादी द्वारा बताया गया कि अपनी 17000 मे बात हुई थी और जेईएन साहब ने आपको पैसे देने के लिए कहा था इस पर बनवारी ने परिवादी से बात करके सारी डिटेल पुछी व परिवादी को कहा कि आपका भवानी सिंह यादव के नाम से कनेक्शन है ना, मैं आपको एक मिनट मे बताता हूं, इसके पश्चात पुनः परिवादी भवानी सिंह यादव व बनवारी के बीच मोबाईल पर वार्ता हुई जिसमे दलाल बनवारी ने परिवादी को कहा कि आप पार्थ सिटी मे ही हो ना मैं पन्द्रह बीस मिनट मे आ रहा हूं। पुनः 05.05 पीएम पर परिवादी भवानी सिंह यादव व दलाल बनवारी के बीच वार्ता हुई जिसमें बनवारी ने पन्द्रह मिनट मे आने की वार्ता की। इसके पश्चात 05.37 पीएम पर परिवादी व बनवारी के बीच वार्ता हुई जिसमें जेईएन कुमावत के दलाल बनवारी द्वारा परिवादी को कालवाड मे रोलाणिया मोटर्स पर बुलाया गया। उपरोक्त समस्त मोबाईल वार्ताएं एवं इस दौरान परिवादी भवानी सिंह यादव की जेईएन कुमावत व उसके दलाल बनवारी को किये गये कॉल जो इनके द्वारा नही उठाये गये उनसे संबंधित वार्ताएं डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में परिवादी के मोबाईल स्पिकर ऑन कर रिकॉर्ड की गई। इसके बाद समय 5.40 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान जाब्ता, गवाहान, परिवादी भवानी सिंह यादव के मय हमराहियान वाहनों के परिवादी के पार्थ सिटी स्थित प्लाट से जेईएन कुमावत के दलाल बनवारी द्वारा निर्धारित रिश्वत लेनदेन स्थल रोलाणिया मोटर्स कालवाड के लिए रवाना होकर समय 6.00 पी.एम. पर रोलाणिया मोटर्स जो जयपुर कालवाड रोड पर कालवाड से पहले स्थित है के पास पहुंचे व अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुऐ मुकीम होने के उपरान्त मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी भवानी सिंह यादव के मोबाईल से बनवारी के मोबाईल नम्बर पर कॉल करवाया गया तो बनवारी ने मोबाईल नही उठाया। इसके उपरान्त दो तीन बार बनवारी के मोबाईल पर कॉल करवाया परन्तु बनवारी द्वारा परिवादी के मोबाईल कॉल पर कोई रेस्पोन्स नही दिया गया। समय 6.10 पी.एम. पर परिवादी के मोबाईल से जेईएन कुमावत के दलाल बनवारी को कई बार कॉल करने के उपरान्त भी बनवारी द्वारा कॉल नही उठाने व मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी भवानी सिह यादव व हमराहियान के परिवादी द्वारा निर्धारित लेनदेन स्थल जो कि काफी गहमा गहमी व भीडभाड वाला स्थल है जिस पर मुकीम होने के उपरान्त भी संदिग्ध दलाल बनवारी द्वारा कोई रेस्पोन्स जेईएन कुमावत व स्वंय की रिश्वत मांग अनुरूप नही देने पर सम्भावित गोपनीय कार्यवाही की गोपनियता के मध्यनजर उक्त स्थल से पुनः ब्यूरो कार्यालय रवाना होने व अग्रीम कार्यवाही को आईन्दा डेफर किया जाना उचित प्रतीत होने से मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान जाब्ता, गवाहान, परिवादी के मय हमराहियान साधनों से रवाना होकर मन पुलिस निरीक्षक मय उपरोक्तान के पार्थ सिटी कालवाड रोड के मैन गेट के पास पहुंचा एवं उक्त स्थान पर मन पुलिस निरीक्षक को उपस्थित परिवादी भवानी सिंह यादव ने बताया कि बनवारी ने रिश्वत लेनदेन के लिए कालवाड बुलाया था परन्तु उसके बाद उसने कोई कॉल नही उठाया तथा मुझे रात्री विश्राम यहीं करना है अतः मन पुलिस निरीक्षक ने गवाहान की उपस्थिति में परिवादी भवानी सिंह यादव से रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 17000 रूपये को परिवादी भवानी सिंह यादव उसकी जेब से निकलवाया जाकर भुरे रंग के लिफाफे मे रखवाये जाकर लिफाफे को तथा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को परिवादी से प्राप्त कर सुरक्षित अपने पास रखा तथा परिवादी को आवश्यक हिदायत व गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रूखसत किया व मन पुलिस निरीक्षक मय शेष हमराहियान व वाहनों के ब्यूरों कार्यालय रवाना होकर समय 7.30 पी.एम. पर ब्यूरो कार्यालय पहुंचा। रिश्वती राशि 17000 रूपये के लिफाफे व डिजीटल वाईस रिकॉर्डर, पत्रावली को सुरक्षित स्वंय की अलमारी में रखा गया। इसके बाद परिवादी भवानी

सिंह यादव का मन पुलिस निरीक्षक के पास दिनांक 05.12.2023 को समय करीब 08.35 पीएम पर मिसकॉल आने पर मेरे द्वारा 08.38 पीएम पर परिवादी भवानी सिंह यादव के मोबाईल नम्बर 9414014777 पर कॉल करने पर भवानी सिंह यादव द्वारा बताया गया कि बनवारी का मेरे मोबाईल पर टैक्स मैसेज आया था जिसमे उसने मुझे सुबह दिनांक 06.12.2023 को कॉल करने के लिए कहा था। जिसके अनुसार बनवारी मुझे रिश्वत प्राप्ति के लिए कल दिनांक 06.12.2023 को बुलाया है इस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी भवानी सिंह यादव को कहा गया कि आप कालवाड रोड पर हाथोज के आसपास प्रातः 10.30 से 11.00 के बीच मिलना, हम मय टीम अग्रीम कार्यवाही हेतु आपके पास पहुंचेगें। स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो टीम को दिनांक 06.12.2023 को 9:30 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत करने पर सभी 9:30 ए.एम. पर उपस्थित कार्यलय आये। दिनांक 6.12.2023 को समय 10.00 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक के पास स्वंय की अलमारी मे रखी गई रिश्वती राशि जो लिफाफे में रखी हुई है को श्री राजकुमार हैड कानि0 35 से निकलवाया गया एवं मन पुलिस निरीक्षक भंवर सिंह मय सर्वश्री अभिषेक पारीक उप अधीक्षक पुलिस, पूरण सिंह कानि 243, विरेन्द्र कुमार कानि0 66, सफी मोहम्मद कानि 173 श्रीमती ममता मकानि 251, मय स्वतंत्र गवाह श्री मनीष चौधरी व श्री प्रदीप कुमार शर्मा मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर व आवश्यक सामान के सरकारी वाहनों के मय चालक के वास्ते गोपनीय कार्यवाही हेतु रवाना हुआ तथा रवाना होने से पूर्व राजकुमार हैड कानि0 35 से रिश्वती राशि का लिफाफा वाहन के डेस्क बोर्ड में रखवाया तथा राजकुमार हैड कानि को भी हमराह लिया। समय 11.20 ए. एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के हाथोज बस स्टेण्ड से आगे पहुंचा जहां पर परिवादी भवानी सिंह यादव मय अपने निजी वाहन के उपस्थित मिला जिसने मन पुलिस निरीक्षक को कल सांयकालिन बताये गये तथ्यों की ताईद की तथा अपने मोबाईल पर बनवारी के मोबाईल से आये मैसेज का अवलोकन कराया जिसमें बनवारी ने आज सुबह कॉल करने का मैसेज किया हुआ था। तत्पश्चात श्री राजकुमार हैड कानि 035 से गाडी के डेस्क बोर्ड मे रखी रिश्वती राशि के लिफाफे को निकलवा कर गवाहान की उपस्थिति में खुलवाया जाकर लिफाफे मे रखी राशि को राजकुमार कानि0 गिनवाया गया तो 500–500 रूपये 34 नोट कुल 17000 रूपये का मिलान पूर्व मे तैयारशुदा फर्द पेशकशी से करने के उपरान्त रिश्वती राशि 17000 रूपये को राजकुमार हैड कानि0 35 से परिवादी भवानी सिंह यादव की दाहीनी जेब में रखवाये गये तथा श्री राजकुमार हैड कानि 35 को पुनः हिदायत कर ब्यूरों कार्यालय के रवाना किया तथा मन पुलिस निरीक्षक मय शेष हमराहीयान के परिवादी के पार्थ सिटी स्थित प्लाट पर रवाना हुए। इस दौरान हाथोज बस स्टेंड से आगे पार्थ सिटी के पास परिवादी भवानी सिंह यादव ने गवाहान की उपस्थिति में जेईएन कुमावत के मोबाईल नम्बर 9413390345 पर कॉल किया तो जेईएन कुमावत ने स्वंय का कालवाड स्थित कार्यालय मे नही होना और दो तीन घंटे का समय लगना बताया जिस पर परिवादी ने जेईएन कुमावत को बनवारी को भेजने के लिए कहा। इसके बाद परिवादी भवानी सिंह यादव ने बनवारी के मोबाईल नम्बर 810491669 पर कॉल किया तो बनवारी ने रिश्वत प्राप्ति के लिए परिवादी भवानी सिंह यादव के पार्थ सिटी स्थित प्लाट नम्बर सी–5 पर आधा पुण घन्टे में आने के लिए कहा। इन वार्ताओं को परिवादी के मोबाईल का स्पिकर ऑन करके डिजीटल वायस रिकार्डर मय एसडी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। तथा मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान जाब्ता, गवाहान, परिवादी के हमराह वाहनों से परिवादी के पार्थ सिटी स्थित प्लाट के लिए रवाना होकर पार्थ सिटी स्थित परिवादी के प्लाट संख्या सी–5 पर पहुंचे जहां पर समय 12:10 पी.एम. व 12:15 पी.एम. पर परिवादी व बनवारी के मध्य मोबाईल पर परिवादी के पार्थ सिटी स्थित प्लाट के बारे में पूछने की वार्ताएं हुई जो वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई। परिवादी भवानी सिंह यादव को पूर्व मे उपयोग किये जा रहे डिजीटल वायस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड को सुपुर्द किया तथा लेनदेन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने व आवश्यक ईशारा करने की हिदायत करने के उपरान्त परिवादी भवानी सिंह यादव अपने प्लाट मे बने कार्यालय/आवासीय भवन मे गया तथा मन पुलिस निरीक्षक, हमराहियान जाब्ता, गवाहान वाहनों को साईड में खडे करके अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुऐ परिवादी के ईशारे के इन्तजार मे मुकीम हुऐ। इसी समय एक मोटरसाईकिल पर 25–30 साल का पेन्ट शर्ट पहने व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया जो मोटरसाईकिल खडी करके परिवादी के प्लाट पर बने कार्यालय के पास अन्दर की तरफ जाने वाले रास्ते पर बने चबुतरे पर खडे परिवादी भवानी सिंह यादव के पास जाता हुआ दिखाई दिया। तत्पश्चात समय 12.18 पीएम पर परिवादी श्री भवानी सिंह यादव ने प्लाट नम्बर सी–5, पार्थ सिटी, कालवाड रोड मे निर्मित मकान के उत्तर दिशा में बने चबुतरे पर खडे होकर

अपने सिर पर हाथ फेर कर रिश्वत लेन देन का नियत ईशारा किया, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय एसीबी जाप्ता के तुरन्त ही प्लाट नम्बर सी–5, पार्थ सिटी में प्रवेश कर परिवादी के पास पहुंचा, परिवादी से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर स्वंय के पास रखां। परिवादी ने पास ही चबुतरे पर कुर्सी के पास खडे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही बनवारी है, जिसने अभी अभी मुझसे मेरे प्लाट नम्बर सी–5, पार्थ सिटी के विधुत कनेक्शन करवाने की एवज में 17000/– रूपये रिश्वत राशि मेरे से अपने दांये हाथ में लेकर दोनों हाथों से गिनकर संदेह होने पर कुर्सी पर रख दिये है, जो अभी कुर्सी पर ही रखे हुऐ है। इस पर कुर्सी के पास खडे व्यक्ति का दाहिनां हाथ सफी मोहम्मद कानि0 173 से एवं बांया हाथ श्री पूरण सिंह कानि0 243 से पोंचो(कलाई) से पकड़वाया तो वह व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाने लगा व हाथ छुडवाकर भागने का असफल प्रयास करने लगा। जिस पर उस व्यक्ति को समझाईस कर शांन्त कर, मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व स्वतंत्र गवाह एवं एसीबी जाप्ता का परिचय देकर उस व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री बनवारीलाल पूंनिया पुत्र श्री कजोडमल पूंनिया, उम्र 29 साल, निवासी पूंनियों की ढाणी, सारंग का बास, पुलिस थाना कालवाड जयपुर हाल हैल्पर फॉल्ट रैक्टिफिकेशन टीम, कंपनी वीजन प्लस, कार्यक्षैत्र कार्यालय सहायक अभियन्ता, कालवाड के अन्तर्गत कालवाड से माचवा तक होना बताया। जिस पर आरोपी बनवारीलाल पूंनिया हैल्पर से परिवादी श्री भवानी सिंह यादव से प्राप्त की गई रिश्वती राशि 17000/– रूपये के बारे में पूछा तो आरोपी बनवारीलाल पूंनिया ने कहा कि मैने भवानी सिंह यादव से कोई रिश्वति राशि नही ली है ना ही भवानी सिंह यादव से रिश्वत राशि की मांग की है। इसने मुझे फोन करके बुलाया था। इस पर पास खडे परिवादी भवानी सिंह यादव ने कहा कि यह झुठ बोल रहा है, मैने मेरे प्लाट नम्बर सी–5, पार्थ सिटी कालवाड रोड मे विधुत कनेक्शन के लिए सहायक अभियन्ता, कार्यालय कालवाड में कनेक्शन के लिए आवेदन किया था, जिस पर मेरे प्लाट में कनेक्शन कराने के लिए मैं सहायक अभियन्ता कार्यालय कालवाड गया जहां पर मुझे जेईएन अनिल कुमावत मिले थे, जिनसे मैने कनेक्शन की बात की तो उन्होने मेरे से प्लाट मे कनेक्शन के लिए 20000 रूपये रिश्वत की मांग की थी और मेरे द्वारा कम करने की कहने पर 17000 रूपये रिश्वत के मांगे थे और यह रिश्वती राशि जेईएन अनिल कुमावत ने मुझे वहां पर मौजुद हैल्पर बनवारी से परिचय कराकर रिश्वत के रूपये बनवारी को देने के लिए कहा था। इस पर आज बनवारी हैल्पर मेरे पास आया तथा मेरे प्लाट नम्बर सी–5 पार्थ सिटी में विधुत कनेक्शन करने के लिए जेईएन अनिल कुमावत और स्वंय के लिए 17000 रूपये की रिश्वती राशि मांग दिनांक 01.11.2023 के अनुसरण में मुझसे प्राप्त करके अपने दोनों हाथों से गिनकर प्लास्टिक की कुर्सी पर रख दिये है। इस पर पास रखी एक प्लास्टिक की कुर्सी पर रखे 500–500 रूपये के नोटो को गवाह श्री प्रदीप कुमार शर्मा से उठावाकर गिनवाया गया तो पांच–पांच सौ रूपये के 34 नोट कुल राशि 17000 रूपये होना एवं नोटों के नम्बर फर्द पेशकशी से मिलाने पर हुबहु वहीं नम्बरी नोट होना पाये गये। जिस पर उक्त नोटों को गवाह श्री प्रदीप कुमार शर्मा के पास सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात परिवादी भवानी सिंह यादव व उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष एक साफ पारदर्शी डिस्पोजल गिलास मे स्वच्छ पानी डालकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी श्री बनवारीलाल पुनिया के दांहिने हाथ की अगुंलियों व अगुंठा को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों मे आधा–आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क R–1 व R–2 अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी भवानी सिंह यादव तथा आरोपी बनवारीलाल पूंनिया के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त विधि से ही दूसरे पारदर्शी डिस्पोजल के गिलास मे स्वच्छ पानी डालकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पॉउडर डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण में आरोपी बनवारीलाल पूंनिया के बांये हाथ की अगुंलियों व अगुंठा को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना बताया। उक्त धोवन को दो कांच की साफ शीशियों मे आधा–आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क L–1 व L–2 अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी श्री भवानी सिंह यादव तथा

[redacted]

आरोपी बनवारीलाल पूंनिया के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात उक्त विधि से ही एक अन्य पारदर्शी डिस्पोजल गिलास मे स्वच्छ पानी डालकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पॉउडर डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण में प्लास्टिक की कुर्सी जिस स्थान पर रिश्वती राशि रखी हुई थी उस भाग को कपडे की चिन्दी की सहायता से रगडवाकर सोडियम कार्बोनेट के घोल मे डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना बताया। उक्त धोवन को दो कांच की साफ शीशियों मे आधा–आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकर सील चस्पा किया गया तथा मार्क C–1 व C–2 अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी श्री भवानी सिंह यादव तथा आरोपी बनवारीलाल पूंनिया के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया व कपडे की चिन्दी को भी सुखवाकर एक कपडे के थैली मे सीलमोहर कर मार्क C अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। मौके पर लाईट की व्यवस्था नही होने से उक्त कार्यवाही कर लिखत पढ़त एवं अन्य कार्यवाही करने हेतु आरोपी बनवारीलाल पूंनिया को वाहन मे बैठाकर स्वतत्र गवाहान एवं जाब्ते के जरिये वाहनों एवं मोटरसाईकिल तथा आरोपी की मोटरसाईकिल नम्बर आरजे 14 JZ 7877 को साथ लेकर समय 12.55 पीएम पर मौके से अग्रीम कार्यवाही हेतु पुलिस थाना कालवाड के लिए रवाना होकर समय 01.10 पीएम पर पुलिस थाना कालवाड पहुंचा जहां पर फर्द तैयार करने एवं अग्रीम कार्यवाही शुरू की गई। इसके पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री प्रदीप कुमार शर्मा के पास सुरक्षित रखवाई गई रिश्वती राशि को दोनों गवाहान से पुनः गिनवाया गया तो पांच–पांच सौ रूपये के 34 नोट कुल 17000/रूपये होना पाये गये एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान से कार्यालय मे पूर्व में बनी फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाया तो दोनों गवाहान ने नोटों के नम्बर फर्द मे अंकित नम्बरों के हुबहु मिलान होना बताया। बरामद शुदा नोटों के नम्बर निम्नानुसार पाये गये। उक्त बरामद शुदा पांच–पांच सौ रूपये के 34 नोट कुल 17000 रूपयों को एक सफेद कागज के साथ नत्थी किया जाकर सीलमोहर कर गवाहान व परिवादी तथा आरोपी बनवारीलाल पूंनिया के हस्ताक्षर करवाकर नोटों को कब्जा एसीबी लिया गया। इसके पश्चात आरोपी के पेन्ट की अन्य जेबों की तलाशी गवाह श्री मनीष चौधरी से लिवायी गई तो पेन्ट की दाहिनी जेब में एक मोबाईल फोन ओपो कम्पनी का जिसमें एक सीम जीओं कम्पनी की है जिसके नम्बर 8104901669 लगी हुई मिला। इसके पश्चात परिवादी से प्राप्त किये गये डिजिटल वॉईस रिकॉर्ड को चालू कर सुना गया तो उसमें परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत लेन–देन के समय वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। इसके बाद आरोपी बनवारीलाल पूंनिया को आवाज का नमूना देने हेतु जरिये फर्द सहमति चाही गई तो आरोपी बनवारीलाल पूंनिया ने अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में मना किया। इसके बाद आरोपी बनवारीलाल पूंनिया को जरिये फर्द नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री बनवारीलाल पूनिया के मोबाईल फोन ओपो कंपनी की प्रकरण के अनुसंधान में आवश्यकता होने के कारण मोबाईल को एक कपडे की थैली मे डालकर सीलमोहर कर मार्क M अंकित कर गवाहान व संबंधितों के हस्ताक्षर कर जरिये फर्द कब्जा एसीबी लिया गया। उपरोक्त घटनाक्रम में अनिल कुमावत, कनिष्ठ अभियन्ता, जेवीवीएनएल कार्यालय सहायक अभियन्ता, कालवाड की आपराधिक भूमिका स्पष्ट होने पर श्री अनिल कुमावत कनिष्ठ अभियन्ता को अनुसंधान हेतु डिटेन करने के लिए उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार श्री सुरेश स्वामी, उप अधीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय को अधिकृत किया गया। इसके बाद परिवादी भवानी सिंह यादव के विधुत कनेक्शन संबंधी आवेदन की पत्रावली की फोटोप्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 4.15 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान जाब्ता, गवाहान, परिवादी भवानी सिंह यादव, गिरप्तारशुदा आरोपी श्री बनवारीलाल पूंनिया, जब्तशुदा आर्टिकल्स मय पत्रावली घटनास्थल के लिए मय हमराहियान वाहनों/चालक के रवाना होकर समय 4.30 पी.एम. पर घटनास्थल प्लाट नम्बर सी–5, पार्थसिटी कालवाड रोड जयपुर पहुंचा जहां घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। समय 4.50 पी.एम. पर घटनास्थल से रवाना होकर समय समय 6.30 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान जाब्ता, स्वंतत्र गवाहान, गिरप्तारशुदा आरोपी बनवारीलाल, जब्तशुदा आर्टिकल्स मुताबिक फर्दात, पत्रावली व परिवादी भवानी सिंह यादव व हमराह वाहनों के ब्यूरों कार्यालय पहुंचे। जब्तशुदा आर्टिकल्स को स्वंय की अलमारी मे सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात समय 6.35 पी.एम. पर श्री सुरेश स्वामी उप अधीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय मय अनिल कुमावत कनिष्ठ

अभियन्ता जेवीवीएनएल कालवाड के उपस्थित आये व अवगत कराया कि निर्देशानुसार अनिल कुमावत कनिष्ठ अभियन्ता की तलाश करते हुऐ बगरू पहुंचे जहां पर अनिल कुमावत कनिष्ठ अभियन्ता को दस्तयाब कर वास्ते अनुसंधान उपस्थित लाये है। इस पर श्री स्वामी उप अधीक्षक द्वारा पेश किये गये अनिल कुमावत से नाम पता पुछा तो अपना नाम अनिल कुमावत पुत्र श्री भैरूलाल कुमावत, उम्र 26 साल, निवासी उंचा मंगरा की ढाणी, वार्ड नम्बर 02 बगरू, पुलिस थाना बगरू जिला जयपुर ग्रामीण हाल कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय सहायक अभियन्ता (परिचालन व संचालन) कालवाड जयपुर बताया जिससे प्रकरण के तथ्यों के संन्दर्भ मे विस्तृत पूछताछ प्रारम्भ की गई। दौराने पूछताछ अनिल कुमावत कनिष्ठ अभियन्ता ने स्वंय के पास भवानी सिंह यादव के विधुत कनेक्शन संबंधी कार्य पैण्डिंग होना व इनकी साईट पर जाने के तथ्यों की ताईद की व भवानी यादव के कनेक्शन संबंधी कार्य के लिए स्वंय से मिलने की ताईद की है परन्तु अनिल कुमावत ने भवानी सिंह यादव से किसी प्रकार की रिश्वत राशि की मांग करने के तथ्यों से इन्कार किया है परन्तु परिवादी भवानी सिंह यादव द्वारा दी गई तहरीरी रिपोर्ट में स्वंय के प्लाट पर विधुत कनेक्शन संबंधी कार्य के लिए आवेदन करने के उपरान्त कनिष्ठ अभियन्ता अनिल कुमावत से मिलने पर श्री कुमावत द्वारा 30000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग का उल्लेख किया है जिसके सत्यापन हेतु दिनांक 01.11.2023 को परिवादी भवानी सिंह यादव व अनिल कुमावत जेईएन के मध्य वार्ताएं हुई है जो डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मे दर्ज है जिसमें अनिल कुमावत कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा परिवादी भवानी सिंह यादव से विधुत कनेक्शन के लिए 20000 रूपये की रिश्वत की मांग स्पष्ट रूप से की गई, इसके उपरान्त परिवादी द्वारा नेगोशिएशन करने पर परिवादी के विधुत कनेक्शन के लिए कुल 17000 रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करना अनिल कुमावत द्वारा तय किया व यह रिश्वत राशि अनिल कुमावत जेईएन द्वारा जेवीवीएनएल कार्यालय मे कार्यरत बनवारी के मार्फत प्राप्त करने की वार्ता जेईएन कुमावत द्वारा की गई जिसमे से एक हजार रूपये की रिश्वती राशि बनवारी के लिए तय की गई व रिश्वत राशि 17000 रूपये जेईएन कुमावत द्वारा बनवारी को देने के लिए कहा गया। उपरोक्त समस्त वार्ता डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मे दर्ज है। इसके उपरान्त दिनांक 01.11.2023 को सत्यापन वार्ता के उपरान्त जेईएन कुमावत द्वारा रिश्वत प्राप्ति के लिए अधिकृत बनवारी द्वारा रिश्वत राशि 17000 रूपये परिवादी भवानी सिंह यादव से प्राप्त नही की गई। दिनांक 05.12.2023 व 06.12.2023 को भी परिवादी भवानी सिंह यादव द्वारा जेईएन अनिल कुमावत से वार्ताएं हुई जिनमें जेईएन कुमावत द्वारा परिवादी भवानी सिंह यादव से रिश्वत राशि बनवारी के माध्यम से प्राप्त करने के तथ्य स्पष्ट रूप से इंगित होते है। जेईएन अनिल कुमावत के द्वारा परिवादी भवानी सिंह यादव से उसके प्लाट के विधुत कनेक्शन के लिए मांगी गई 17000 रूपये रिश्वती राशि जेईएन कुमावत के दलाल बनवारीलाल पूनिया द्वारा दिनांक 06.12.2023 को प्राप्त करते समय बनवारीलाल पूंनिया को रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाकर रिश्वत राशि बरामद की जा चुकी है। इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों से अनिल कुमावत पुत्र श्री भैरूलाल कुमावत, उम्र 26 साल, निवासी उंचा मंगरा की ढाणी, वार्ड नम्बर 02 बगरू, पुलिस थाना बगरू जिला जयपुर ग्रामीण हाल कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय सहायक अभियन्ता (परिचालन व संचालन) कालवाड जयपुर के द्वारा परिवादी भवानी सिंह यादव के प्लाट संख्या सी–5, पार्थ सिटी कालवाड रोड जयपुर पर विधुत कनेक्शन के लिए 17000 रूपये की रिश्वती राशि स्वंय के लिए मांग करना जिसमे 1000 रूपये की रिश्वती राशि दलाल बनवारीलाल पूनिया के लिए निर्धारित थी, स्वंय के कार्यालय के कान्ट्रेक्ट कर्मचारी बनवारीलाल पूंनिया द्वारा दिनांक 06.12.2023 को प्राप्त करते समय बनवारीलाल पूंनिया को रंगे हाथो गिरफ्तार कर रिश्वत राशि 17000 रूपये बरामद किये जाने से श्री अनिल कुमावत कनिष्ठ अभियन्ता के विरूद्व धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) सपठित धारा 120 बी भा.द.स. का अपराध बखूबी प्रमाणित पाया जाने पर श्री अनिल कुमावत कनिष्ठ अभियन्ता को अपनी आवाज का नमूना दिये जाने के संन्दर्भ मे जरिये फर्द सहमती प्राप्त करने पर अनिल कुमावत ने अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित मे इन्कार किया गया। इसके बाद अनिल कुमावत कनिष्ठ अभियन्ता को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात आरोपी अनिल कुमावत कनिष्ठ अभियन्ता की जामा तलाशी मे मिले मोबाईल फोन वीवो कंपनी को जरिये फर्द वास्ते अनुसंधान जब्त किया गया। दिनांक 01.11.2023 को परिवादी भवानी सिंह यादव, आरोपी अनिल कुमावत कनिष्ठ अभियंता, बनवारी लाल पूनिया के मध्य हुई सत्यापन वार्ता तथा दिनांक 05.12.2023 को परिवादी व दोनों आरोपीगण के मध्य हुई मोबाईल वार्ताएं, दिनांक 06.12.2023 की परिवादी व आरोपीगणों के मध्य मोबाईल वार्ताएं व रिश्वत लेन–देन के समय की वार्ताएं जो एस.डी. कार्ड लगे डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में दर्ज हैं, उक्त वार्ताओं को

कार्यालय के लेपटॉप की सहायता से परिवादी भवानी सिंह यादव व स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में सुना जाकर शब्द–ब–शब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की गई तथा इन वार्ताओं की कुल 6 सी.डी. मार्क A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6 तैयार की जाकर चार सी.डी. मार्क A-1, A-2, A-3, A-4 (क्रमशः A-1, A-2 न्यायालय हेतु A-3, A-4 मुल्जिमान हेतु आरोप पत्र के साथ दिये जाने के लिये) को सीन्ड मोहर किया गया तथा सी.डी. मार्क A-5, A-6 (ए.डी.पी. व आई. ओ. हेतु) को खुला रखा गया। रिकॉर्डर में लगे एस.डी. कार्ड को सील्ड मोहर कर मार्क SD दिया गया।

इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण कार्यवाही से आरोपी अनिल कुमावत कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय सहायक अभियंता, परिवहन व संचालन (प.व.स.), जे.वी.वी.एन.एल., कालवाड़ जयपुर के द्वारा परिवादी भवानी सिंह यादव के प्लाट संख्या सी–5, पार्थ सिटी कालवाड रोड मे विधुत कनेक्शन का वैद्य कार्य करने के लिए परिवादी भवानी सिंह यादव से अवैध पारितोषण के रूप में 20,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग करते हुए 17,000/– रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करना तय करते हुए मांग के अनुशरण में 17,000 रूपये की अवैध रिश्वत राशि स्वयं के कार्यालय के कॉन्ट्रेक्ट कर्मी बनवारी लाल के माध्यम से स्वयं व बनवारी लाल के लिए दिनांक 06.12.2023 को बनवारी लाल के माध्यम से प्राप्त किये जाने से आरोपी श्री अनिल कुमावत कनिष्ठ अभियंता एवं श्री बनवारीलाल पूनिया के विरूद्व धारा 7पी.सी एक्ट 1988 .(यथा संशोधित 2018) व सपठित धारा 120 बी भा.द.स. का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

अतः 1. श्री अनिल कुमावत पुत्र श्री भैरूलाल कुमावत, उम्र 26 साल, निवासी उंचा मंगरा की ढ़ाणी, वार्ड नं. 2, बगरू, पुलिस थाना बगरू जिला जयपुर ग्रामीण हाल कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय सहायक अभियंता, परिवहन व संचालन (प.व.स.), जे.वी.वी.एन.एल. कालवाड़ जयपुर 2. श्री बनवारीलाल पूनिया पुत्र श्री कजोडमल पूंनिया, उम्र 29 साल, निवासी पूनियों की ढाणी, सांरग का बास, पुलिस थाना कालवाड जयपुर हाल हैल्पर फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम, कंपनी वीजन प्लस, कार्यक्षैत्र कार्यालय सहायक अभियन्ता, कालवाड के अन्तर्गत कालवाड से माचवा तक के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 पीसी एक्ट 1988 (यथा संशेधित 2018) व 120बी भादस में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

(भंवर सिंह)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर नगर द्वितीय, जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भंवर सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर द्वितीय, द्वितीय, जयपुर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री अनिल कुमावत पुत्र श्री भैरूलाल कुमावत, कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय सहायक अभियंता, परिवहन संचालन (प.व.स.), जे.वि.वि.नि.लि., कालवाड़, जयपुर 2. श्री बनवारी लाल पूनिया पुत्र श्री कजोडमल पुनिया, हाल हैल्पर फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम, कम्पनी वीजन प्लस, कार्यक्षैत्र कार्यालय सहायक अभियंता, कालवाड़ के विरूद्ध धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधित 2018) व 120बी भा.दं.सं. के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 304/2023 उपरोक्त धाराओं में पंजीबद्ध कर प्रतियॉ नियमानुसार कताकर जारी की गई।

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः— 3128—32 दिनांक 07.12.2023

प्रतिलिपिः—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या—1, जयपुर।
2. सचिव, प्रशासन, जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस—प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर—द्वितीय जयपुर।
5. छिगन धायल, एडीशनल ओल्ड डेटा सेन्टर, राम मन्दिर, बनीपार्क, जेविविनिलि0 जयपुर।

पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।